न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/14

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

ओमसिंह पुत्र मदनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली

1. जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतुसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली
2. ग्राम पंचायत चण्डावल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राज.
3. ग्राम सचिव ग्राम पंचायत चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 200/2020 अनवान जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतुसिंह बनाम ओमसिंह वगैरा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2024 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल निगरानी प्रकरण संख्या 200/2020 तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मूल निगरानी में अप्रार्थी ओमसिंह की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण में ओमसिंह के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पुनर्विलोकन निर्णय पारित किया गया, जिससे अप्रार्थी मूल निगरानी में अपने तथ्य, दस्तावेज एवं अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहे और अप्रार्थी ओमसिंह को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। प्रार्थी को जैर निर्णय की जानकारी होने पर अन्दर म्याद उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रश्नगत पट्टा वर्ष 1976 में जारी किया गया और निगरानीकर्त्ता ने मूल निगरानी लगभग 44 वर्ष बाद पेश की, जो कि म्याद बाहर है। उक्त निर्णय में मूलभूत तथ्यों की भूल की गई है तथा सभी दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। मेघसिंह ने कभी भी जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतुसिंह के पिता विजयसिंह को गोद नहीं लिया और न ही ऐसा कोई गोदनामा पंचायत में प्रस्तुत किया गया। मांगीदेवी, जितेन्द्रसिंह की दादी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नहीं है और न ही जितेन्द्रसिंह मांगीदेवी के साथ रहता था अपितू अप्रार्थी जितेन्द्रसिंह शुरूआत से ही गुजरात रहता था। साथ ही मांगीदेवी ने कभी भी जितेन्द्रसिंह को अपना वारिस घोषित नहीं किया, न ही गोदीपुत्र माना और न ही कभी वसीयत लिखवाई। अप्रार्थी ने मूल निगरानी में पहले तो मदनसिंह के पक्ष में पूर्व में पट्टा जारी होना और बाद में मेघसिंह, मदनसिंह, रतनसिंह के पिता देवीसिंह के नाम से वर्ष 1954–55 में पट्टा बना हुआ होना बताया है जबकि मदनसिंह के पक्ष में कोई भी पट्टा पूर्व में बना हुआ नहीं है। पुर्नविलोकाधिन निर्णय, नियम 255 से नियम 269 की पालना नहीं हेाना, नक्शा तैयार करने की राशि जमा नहीं होना, पंचनामित नहीं होना और आपत्ति इश्तिहार व मिसल के नक्शे और पट्टे के नक्शे में अन्तर होना और पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते हुये दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकने को आधार बनाकर पारित किया है, जो तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है। साथ ही पट्टा 39311 वर्गगज का न होकर मात्र 393.50 वर्गगज का है। उक्त पट्टा में विधिनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर समस्त पंचायत नियमों की पालना की जाकर पट्टा जारी किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2008 (1) DNJ (Raj.) 344, 2010 (1) DNJ (Raj.) 201, 2010 (1) DNJ (Raj.) 214 पेश कर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये पुर्नविलोकाधिन निर्णय दिनांक 19.11.2024 को अपास्त कर मूल निगरानी को पुनः नम्बर पर दर्ज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि होना इंगित नहीं किया है। मूल निगरानी में अप्रार्थी के अधिवक्ता पूर्व में उपस्थित थे और उसके पश्चात् न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई की जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने एकपक्षीय निर्णय के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। पुर्नविलोकन प्रार्थना–पत्र में पूर्व में पारित निर्णय में विधिक त्रुटि बताना आवश्यक होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी ऐसी कोई त्रुटि नहीं बताई है। पुर्नविलोकाधीन निर्णय मूलतः पूर्व में जारी पट्टे पर पट्टे के आधार पर पारित किया गया है उसमें पट्टे के क्षेत्रफल का कोई विषय नहीं है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष अपने आवेदन में स्पष्ट किया कि पूर्व में पट्टा बना हुआ था। ग्राम पंचायत को पूर्व में जारी पट्टे पर पुनः पट्टा जारी करने का कोई अधिकारी नहीं है, ऐसे पट्टे पोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में खारिज किया गया, जो कि विधिसम्मत है। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर परिक्षण करने के उपरान्त विधिनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं की है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल निगरानी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 200/2020 अनवान जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतुसिंह बनाम ओमसिंह वगैरा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2024 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य बिन्दु यह था कि अप्रार्थी ने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मूल निगरानी लगभग 44 वर्ष के बाद प्रस्तुत की, जो कि पूर्णतया म्याद बाहर है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी को जानकारी होने पर नियत समय में मूल निगरानी पेश की है तथा जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्पष्ट समय सीमा का अंकन नहीं है इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2018(2) DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे निर्णय उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 44 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करना विधिनुसार है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते हुए दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकने का आधार तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदनकर्त्ता स्वयं ने यह स्वीकार किया प्रश्नगत मकान का पूर्व में पट्टा बना हुआ है। इस तथ्य के सम्बन्ध में मूल निगरानी का अवलोकन करने पर यह पाते है कि अप्रार्थी ओमसिंह के पिता मदनसिंह ने ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा बनाने हेतु जो आवेदन पेश किया उसमें स्पष्टतः अंकित किया कि ".....मेरा कब्जा सुद मकान जो कोर्ट के सामने है उसका पट्टा गुम हो चुका है।" इससे यह जाहिर है कि आवेदनकर्त्ता जिस मकान का पट्टा बनाना चाहते थे उसका पूर्व में पट्टा बना हुआ था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में प्रदत्त नियमानुसार किसी भूमि का एक बार पट्टा जारी होने के पश्चात्, जब तक उस पट्टे को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता उसी भूमि का पुनः पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदनकर्त्ता की यह स्वीकारोक्ति है कि प्रश्नगत मकान का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका है और यदि कोई तथ्य स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया हो तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. उपर्युक्त समस्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।" पंचायत नियमानुसार ग्राम पंचायत को किसी भूमि का एक बार ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, उसी भूमि का पुनः पट्टा केवल तभी जारी किया जा सकता है जब पूर्व का पट्टा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो। कोई भी वैधानिक निर्णय या दस्तावेज तब तक प्रभावी रहता है जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत निरस्त न कर दिया जाए। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टे के वैध रहते हुए उसी भूमि पर जारी किया गया दूसरा पट्टा अधिकार क्षेत्र से परे है। नया पट्टा अधिकार क्षेत्र से परे जारी किया गया है,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जिससे पूर्व पट्टा स्वतः शून्य नहीं होता। अतः न्यायालय हाजा द्वारा मूल निगरानी में पारित निर्णय विधिनुसार है।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र यह कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों में वर्णित सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुये विधिनुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त तर्क के परीक्षणार्थ न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत मिसल में यह निर्दिष्ट नहीं है कि किन–किन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु नामित/अधिकृत किया गया। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जहां किसी कार्रवाई को विशेष व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न कराया जाना अपेक्षित हो, वहां उन व्यक्तियों का स्पष्ट नामांकन आदेशिका में अंकित किया जाना अनिवार्य होता है। केवल सामान्य निर्देश, विधिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। नामांकन का अभाव कार्यवाही की वैद्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं उतरदायित्व पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करता है। उपलब्ध मौका रिपोर्ट पर केवल दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है जबकि नियमानुसार निरीक्षण रिपोर्ट पर तीन अधिकृत पंचों के हस्ताक्षर अपेक्षित है। मौका निरीक्षण पर जिन दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर पूर्व नामांकन का स्थानापन्न नहीं हो सकते। बिना नामांकन के यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये वहीं पंच थे जिनसे निरीक्षण करवाया जाना था अथवा वे निष्पक्ष एवं अधिकृत पंच थे। जहां विधि किसी कार्य को निश्चित प्रक्रिया से करने का प्रावधान करती है, वहा उस प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है। प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर की गई कार्यवाही विधिसम्मत साक्ष्य का रूप नहीं ले सकती। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट की सम्पूर्ण कार्रवाई सन्देहास्पद हो जाती है। साथ ही राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी निर्णय के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994.

इसके अतिरिक्त मूल निगरानी के साथ संलग्न मिसल की प्रति से यह तथ्य भी प्रकट आता है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में तैयार किये गये नक्शे में वर्णित पड़ौस तथा पट्टा जारी करने से पूर्व प्रकाशित आपत्ति इश्तिहार में उल्लेखित पड़ौस परस्पर भिन्न है। यह विरोधाभास भूमि की वास्तविक पहचान के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न करता है। पट्टा जारी करने की कार्रवाई में भूमि की सही एवं निर्विवाद पहचान अत्यन्त आवश्यक तत्व है। पड़ौस का उल्लेख केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि भूमि की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करने का माध्यम है। आपत्ति इश्तिहार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि जिस भूमि के सम्बन्ध में पट्टा प्रस्तावित है उसकी सही पहचान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हो तथा उससे प्रभावित सम्भावित व्यक्तियों को विधिवत सूचना प्राप्त हो। यदि आपत्ति इश्तिहार में वर्णित सीमाएं वास्तवित नक्शे से भिन्न हो, तो यह सम्भावना उत्पन्न होती है कि गलत भूमि के सम्बन्ध में इश्तिहार जारी हुआ और आपत्ति प्रक्रिया प्रभावी एवं विधिसम्मत रूप से

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सम्पन्न नहीं हुई। विधिक दृष्टि से यह सुस्पष्ट है कि ज़हां भूमि की पहचान ही सन्देहास्पद हो जाये वहा उस भूमि के सम्बन्ध में की गई समस्त अनुवर्ती कार्रवाई विधिक परीक्षण में टिकाउ नहीं हो सकती। अभिलेख पर उपलब्ध प्रश्नगत मिसल की पूर्ववर्ती किसी भी आदेशिका में कब्जा सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये जाने सम्बन्धी कोई आदेश पारित नहीं किया गया। मिसल में ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा गवाहों के बयान दर्ज करने की विधिवत् अनुमति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् आदेशिका दिनांक 24.10.1976 में यह उल्लेख किया गया कि बयान शामिल मिसल किये जावे तथा जिस बयान को मिसल में सम्मिलित किया गया उस पर बयान की तिथित 17.10.1976 अंकित है। जब पूर्व में गवाहों के बयान दर्ज करने का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है तब यह स्पष्ट नहीं होता कि दिनांक 17.10.1976 को कथित रूप से दर्ज किये गये बयान किस विधिक प्राधिकारी के अधीन लिये गये। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती दर्ज नहीं है। आवेदक ने ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया परन्तु स्थल निरीक्षण, नक्शा तैयार करने के लिए निर्धारित शुल्क कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियमों में स्थल निरीक्षण, नक्शा तैयार करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा कराने के स्पष्ट एवं अनिवार्य प्रावधान विद्यमान हैं। उक्त नियम में कही भी यह अपवाद नहीं दिया गया है यदि भूमि पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका हो, तो स्थल निरीक्षण एवं नक्शा शुल्क में छूट होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी पट्टे का वैधानिक महत्व होते हुये पुनः उसी भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रत्यके आवेदन एक स्वतंत्र कार्यवाही है और उसके लिये प्रत्येक आवेदन पर पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया की अक्षरशः पालना करना आवश्यक है, बिना उस प्रक्रिया की पालना किये जारी पट्टा विधिसम्मत नहीं माना जाता है।

यह सुस्थापित विधि है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र में सफल होने के लिये नजरसानी निर्णय को देखने मात्र से त्रुटि प्रकट होना आवश्यक है। ऐसी त्रुटि जो कि स्वयं प्रमाणित नहीं है एवं जिसका निर्धारण तर्क संगत प्रक्रिया से करना होता है। वह अभिलेख को देखने मात्र से प्रकट होने वाली विधिक त्रुटि की परिधि में नहीं आती है। आलोच्य निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण अलग हो सकता है। किन्तु नजरसानी का आधार नहीं हो सकता। मूल निर्णय में क्षेत्रफल में सम्बन्ध में हुई त्रुटि टंकण त्रुटि की परिभाषा में आती है न कि विधिक त्रुटि की श्रेणी में क्योंकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियमों में क्षेत्रफल के सम्बन्ध में कोई बाध्यता नहीं थी और न ही पुर्नविलोकाधीन निर्णय पारित करते समय क्षेत्रफल को विशेष आधार माना गया है। पुर्निविलोकाधीन निर्णय का मुख्य आधार पूर्व से जारी पट्टे पर पट्टा एवं राजस्थान पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नहीं करना है। अतः क्षेत्रफल की टंकण त्रुटि निर्णय की वैद्यता या निरस्तीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकती। इस प्रकार पुनिर्विलोकन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पुनिर्विलोकन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमात तक ही विचार किया जाना सम्भव है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान दिये गये है। नजरसानी का दायरा अत्यधिक समिति होता है और नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। आर.आर.डी. 2010 पेज 254 प्रेमराज बनाम श्रीमती मनभर देवी में माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

(a) Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble High Court have held in several matters that the remedy of review is not an instrument for re-examination of the facts and is cannot be utilized as an instrument for rewriting the judgment. The scope of review does not provide an opportunity of an extra appeal. It has been held that even when judgment is erroneous the scope of review is not attracted.

(b) The scope of review is very limited and review is not the method of re-examination of a judgment. It even does not give any scope to the Court to sit in appeal over the judgment pronounced by the same Court. The scope permits only to correct the lawful mistakes which are apparent on the face of the record. Hon'ble Supreme court in Smt. Meera Bhanja vs Nirmala Kumari Chaudhary, AIR 1995 SC page 455 clearly held that the lawful error apparent on the face of the record should be such which should strike immediately looking at the face of the record and which does not require any long drawn process of reasoning or examination of law. The Court are not supposed to re-appreciate the evidence but only restirct themeselves for correction of the mistakes which are visible on the face of the record.

(c) The power of review can be exercised only for correction of patent error of law or fact which stares on the face wihout any elaborate argument being needed in establishing it. The error apparent on the face of the reocrd is one which is self-evident and does not require a process of reasoning and it is discinct from erroreous decision. Rehearing the matter or detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of the jurisdiction of review. Jurisdction of review cannot be used as an appellate jurisdiction in disguise. Hon'ble Supreme Court in State of Haryana vs Mohinder Singh, 2003(1) WLC (SC) page 499 considered the scope of review under Order 47 Rule 1 CPC which is reproduced here -

Civil Procedure Code O. 47 Rule 1- Scope - Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of - High court in heraing review as if it was

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

rehearing whole petition overstepped its limits - Order of High Court set aside and original order restored.

इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2005 (1) पृष्ट 545 सुरेन्द कुमार वकील एवं अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश एवं अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – A point that has been heard and decided cannot from a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous. इसके अतिरिक्त ए.आई.आर 2014 एस.सी. (सप्ली.) 254 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया है कि – Mere disagreement with view expressed in judgment - or thant other view is possible - Not ground to invoke review jurisdiction - Review jurisdiction can be exercised only when there is glaring omission or patent mistake or when a grave error has crept in judgment.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 1997 (8) एस.सी.सी. पृष्ठ 715 परसियन देवी व अन्य बनाम सुमित्री देवी व अन्य में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – Review Scope of Jurisdiction-Mistake or error apparent on the face of the record - Is one which is self - evident and does not require a process of reasonging - Distinct from erroneous decision - So rehearing the matter for detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the abmit of reivew jurisdiction - Review jurisdiction cannot be used as appellate jurisdiction.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 455 श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि – Review - Error apparent on face of record - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions. साथ ही 2005(1) आर.आर.टी. पेज 545 में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि "that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for review.

यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू पीटिशन संख्या 662/2001 बअनवान सुरेन्द्र कुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2004 में प्रतिपादित किया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा समस्त अभिलेखों का सम्पूर्ण विवेचन करने के उपरान्त मूल प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया और निर्णय देखने मात्र से किसी प्रकार की विकिध त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटि प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। उपरोक्त आलोक में आलोच्य निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलबध सामग्री का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्णय

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पारित किया गया है, जो पूर्णतया तर्कसंगत एवं विधिक बिन्दुओं पर आधारित है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है एवं नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य निर्णय निरस्त करने का कोई समुचित एवं न्यायोचित कारण प्रकट नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 200/2020 अनवान जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतुसिंह बनाम ओमसिंह वगैरा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार, पाली में भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली